

श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०. हनुमानगढ ज०.

फोन नं० : 01552-260793, 260522

क्रमांक:-गंगमूल/पीएण्डआई/2025/14275-8)

दिनांक:-2603.2025

ई-निविदा-सूचना

श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, हनुमानगढ जं० द्वारा विभिन्न दुग्ध अवशीतन केन्द्रों पर दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों/संकलन केन्द्रों से दूध परिवहन करने एवं सामान लाने व ले जाने लिये एक वर्ष हेतु ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निर्धारित इच्छुक परिवहनकर्ता/व्यक्ति/फर्म निविदा प्रपत्र वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से दिये गये निर्देशानुसार अपलोड कर सकते हैं। विस्तृत निविदा संघ की वेबसाइट www.sriganganagarmilkunion.com पर देखी जा सकती है।

(उग्रसेन सहारण)
प्रबंध संचालक

प्रतिलिपी:-

1. प्रबन्धक प्रणाली, आरसीडीएफ०लि०, जयपुर।
2. प्रभारी हनुमानगढ क्षेत्र, दु०अ०के० नोहर, सूरतगढ, घड़साना।
3. प्रभारी लेखा/प्रभारी संयंत्र।
4. प्रभारी एमआईएस- कृपया संघ की वेबसाइट व <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करवायें।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, प्रबन्ध संचालक।
6. सम्पादकको भेजकर लेख है कि उक्त ई-निविदा सूचना को आप अपने दैनिक हिन्दी पत्रिका में स्थान में शीघ्रतापीघ्र एक बार संघ के लोगो सहित प्रकाशित करें।
7. कार्यालय पत्रावली/रक्षित पत्रावली/नोटिस बोर्ड।

प्रबंध संचालक

SRIGANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD

Industrial Area, Hanumangarh Jn.-335512

Tel No. 01552-260793, 260522, Fax-262847, E-mail: : gngmu-rj@nic.in

क्रमांक / गंगमूल / पीएण्डआई / 2025 / 14275-81

दिनांक:- 26.03.2025

ई-निविदा-सूचना

श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, हनुमानगढ़ जं० द्वारा **हनुमानगढ़ क्षेत्र, दुग्ध अवशीतन केन्द्र नोहर, सूरतगढ़, घड़साना के निम्न पथों** में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों/संकलन केन्द्रों से दूध परिवहन करने एवं सामान लाने, ले जाने के लिये प्रति किमी की दर से एक वर्ष हेतु वाहन पिकअप, वाहन कैन क्षमता 48/60 अनुसार (मॉडल 2018 या उसके बाद का) लगाये जाने के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:-

क्र० सं०	दुग्ध अव० केन्द्र	दुग्ध मार्ग का नाम	वाहन कैन क्षमता (न्यूनतम)	दूरी प्रति पारी (लगभग)	दर	अमानत राशि	निविदा स्वीकृत पश्चात् धरोहर राशि
1	हनुमानगढ़ क्षेत्र	टिब्बी	48	130	प्रति किमी	40000 / -	150000 / -
2	हनुमानगढ़ क्षेत्र	दुलमाना	48	100	प्रति किमी	40000 / -	150000 / -
3	हनुमानगढ़ क्षेत्र	एनडीआर	48	110	प्रति किमी	40000 / -	150000 / -
4	हनुमानगढ़ क्षेत्र	चाहूवाली	48	130	प्रति किमी	40000 / -	150000 / -
5	हनुमानगढ़ क्षेत्र	पन्नीवाली	48	130	प्रति किमी	40000 / -	150000 / -
6	हनुमानगढ़ क्षेत्र	पण्डितावाली	48	120	प्रति किमी	40000 / -	150000 / -
7	हनुमानगढ़ क्षेत्र	मैनावाली	48	120	प्रति किमी	40000 / -	150000 / -
8	नोहर	सरदारगढिया	48	140	प्रति किमी	40000 / -	150000 / -
9	नोहर	ढिलकी	48	120	प्रति किमी	40000 / -	150000 / -
10	नोहर	श्याराणी	48	140	प्रति किमी	40000 / -	150000 / -
11	सूरतगढ़	हरदासवाली	60	140	प्रति किमी	40000 / -	150000 / -
12	सूरतगढ़	निरवाणा	60	140	प्रति किमी	40000 / -	150000 / -
13	घड़साना	रावला	48	120	प्रति किमी	40000 / -	150000 / -
14	घड़साना	लुणिया	48	130	प्रति किमी	40000 / -	150000 / -

इच्छुक परिवहनकर्ता/व्यक्ति/फर्म निविदा प्रपत्र वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से दिये गये निर्देशानुसार डाउनलोड कर दिनांक 15.04.2025 साय 5.00 पी.एम. तक अपलोड कर सकते हैं। तकनीकी निविदाएं दिनांक 16.04.2025 को संघ कार्यालय में खोली जावेंगी।

निविदा शुल्क प्रति निविदा 590 रुपये (जीएसटी सहित) एवं अमानत राशि 40000 रुपये श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, हनुमानगढ़ के नाम डी.डी. के रूप में तथा निविदा प्रोसेसिंग शुल्क प्रति निविदा 500 रुपए **MD, RISL, Jaipur** के नाम डीडी के रूप में तथा निर्धारित स्टाम्प तय दिनांक व समय पर संघ कार्यालय में जमा करवाना होगा। निविदा शुल्क, अमानत राशि अथवा निविदा प्रोसेसिंग शुल्क जमा नहीं करवाने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी। किसी भी निविदा प्रपत्र को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार प्रबंध संचालक, श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. के पास सुरक्षित है।

अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें:- 01552-260793, 260522

राजस्थान को-ओपरेटिव डेयरी फ़ेडरेशन लि० जयपुर हेल्प लाईन नं० 0141-2709444, 2709445

(उग्रसेन सहारण)
प्रबन्ध संचालक

प्रतिलिपी:-

1. प्रबन्धक प्रणाली, आरसीडीएफ०लि०, जयपुर।
2. प्रभारी लेखा/प्रभारी संयंत्र/प्रभारी दुग्ध अव. केन्द्र नोहर, सूरतगढ़, घड़साना व हनुमानगढ़ क्षेत्र।
3. प्रभारी एमआईएस- कृपया संघ की वेबसाईट एवं <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करवायें।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, प्रबन्ध संचालक।
5. नोटिस बोर्ड/कार्यालय पत्रावली/ रक्षित पत्रावली

82

82

प्रबन्ध संचालक

SRIGANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD

Industrial Area, Hanumangarh Jn.-335512

Tel No. 01552-260793, 260522, Fax-262847, E-mail: gngmu-rj@nic.in

INSTRUCTIONS FOR SUBMISSION OF E-TENDER FORM & DOCUMENTS

1. The bidders who are interested in bidding can download tender documents from <http://eproc.rajasthan.gov.in>
2. Bidders who wish to participate in this tender will have to register on <http://eproc.rajasthan.gov.in> to participate in online tenders, Bidders will have to procure Digital Signature Certificate (type III) as per Information Technology Act-2000 using which they can sign their electronic bids. Bidders can procure the same from any CCA approved certifying agency, i.e. TCS, safe crypt, Ncode etc. or they may contact e-procurement Cell, Department of IT & C, Government of Rajasthan for further assistance. Bidders who already have a valid Digital certificate need not procure a new Digital Certificate.
Address: e-Procurement Cell, RISL, Yojana Bhawan, Tilak Marg, C Scheme, Jaipur.
3. Bidders shall submit their offer on-line in Electronic formats however D.D. for Tender fee, Processing Fee and E.M.D. should be submitted manually in the office of Tendering Authority Before date & time of opening of bids without which tender form will not be accepted and scanned copy of D.D. should also be uploaded along with the online bid.
4. Before electronically submitting the tenders, it should be ensured that all the tender papers including conditions of contract are digitally signed by the tenderer.
5. The scan copy of tender form, rates & other relevant documents duly signed by Tenderer should be submitted online only.
6. If required by the Tenderer, training may be given by DOIT, Yojana Bhawan, Bidder Contact: E-Procurement Cell, 1st Floor, Yojana Bhawan Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur. Help Desk MOBILE: +91-78780-07972, +91-78780-07973 or 180030702232 Toll free, 24X7 E-mail- eproc.rajasthan.gov.in
7. Tender Form & handwritten rates would not be accepted in Tender Box.
8. Please read carefully the steps of submitting Tender online.
9. Bidders are also advised to refer "Bidders manual" available under "Downloads".



(Signed by the tenderer
in token of acceptance of above)

SRIGANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD

Industrial Area, Hanumangarh Jn.-335512

Tel No. 01552-260793, 260522, Fax-262847, E-mail: : gngmu-rj@nic.in

Important Date and Time

Sr.	Particulars	Date / Time
1.	Date & time of Uploading tender form by Milk Union	28 .03.2025
2.	Date & time of start of Uploading tender by tenderer	28 .03.2025
3.	Last Date & time of Uploading tender by tenderer	15.04.2025 by 05:00 PM
4.	Last Date & time submission hard copy of :- DD and STAMP	
i	EMD (Rs. 40,000/-) per route applied by DD in the name of MD, SRIGANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD, Hanumangarh	16.04.2025 at 02:00 PM At GANGMUL, HMH
ii	Tender form fee Rs. (500+18 % GST) 590 by DD in the name of MD, SRIGANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD, Hanumangarh	16.04.2025 at 02:00 PM At GANGMUL, HMH
iii	E-tender processing fee Rs. 500/- by DD / Banker cheque / pay order in the name of MD, RISL., Jaipur	16.04.2025 at 02:00 PM At GANGMUL, HMH
5.	Date & time of technical bid opening	After 16.04.2025 3:00 PM

Handwritten signature/initials in blue ink.

(Signed by the tenderer
in token of acceptance of above)

SRIGANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD


Industrial Area, Hanumangarh Jn.-335512

Tel No. 01552-260793, 260522, Fax-262847, E-mail: gngmu-rj@nic.in

आवश्यक विवरण

- | | | |
|---------------------------------------|----|--|
| 1. ई-निविदा का नाम | :- | दुग्ध अवशीतन केन्द्रों के विभिन्न दुग्ध परिवहन पथों हेतु |
| 2. ई-निविदा सूचना क्रमांक | :- | क्रमांक/गंगमूल/पीएण्डआई/2025/..... |
| 3. ई-निविदा फॉर्म शुल्क | :- | 590 (पांच सौ नब्बे रुपये जीएसटी सहित) |
| 4. ई-निविदा प्रोसेसिंग शुल्क | :- | 500 (पांच सौ रुपये) |
| 5. अमानत राशि (डीडी) | :- | 40,000 (चालीस हजार रुपये) |
| 6. धरोहर राशि (निविदा स्वीकृत पश्चात) | :- | 150,000 (एक लाख पच्चास हजार रुपये) |
| 7. अनुबंध अवधि | :- | एक वर्ष हेतु |
| 8. वाहन का प्रकार | :- | पिकअप वाहन, कैन क्षमता 48/60 कैन |
| 9. वाहन का मॉडल | :- | वर्ष 2018 या उसके बाद का |

निमित्त:- प्रबन्ध संचालक (श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, हनुमानगढ़ जं०)



हस्ताक्षर निविदादाता

ई-निविदा प्रपत्र

1. पथ का नाम:-दुग्ध अवशीतन केन्द्र.....
2. ई-निविदा सूचना:- गंगमूल / पीएण्डआई / 2025 /
3. निविदादाता का नाम श्री पुत्र श्री
4. पत्राचार हेतु पूरा पता:-.....
.....मोबाईल नं.....
5. निविदादाता का आधार नं0 :-(संलग्न छायाप्रति अनुसार)
6. निविदादाता की फर्म का नाम (यदि है तो):-(फर्म संबंधित दस्तावेज संलग्न करें)
7. वाहन का मॉडल :- वर्ष
8. वाहन का नम्बर :- / कैन क्षमता.....
9. पत्राचार का पता एवं निविदा खोलने का स्थान :- पीएण्डआई कार्यालय, श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, औद्योगिक क्षेत्र, हनुमानगढ़ जं0-335512
10. वाहन मेरा स्वयं का है एवं कागजात पूर्ण एवं सही हालत में हैं।
11. निविदा सूचना एवं निविदा फॉर्म में उल्लेखित समस्त शर्तें, निर्देशों एवं सूचनाओं को मैंने पढ़ लिया है, समझ लिया है, जो मुझे पूर्णतः स्वीकार हैं। जिसके सहमति प्रमाण स्वरूप मैंने / हमने निविदा फॉर्म के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किये हैं। निविदा कार्य अनुसार परिवहन दर निविदा के साथ BOQ में दर्शाई गई है। कोई भी तथ्य गलत या अधूरा पाया जाता है तो मेरी निविदा निरस्त कर दी जावे।




हस्ताक्षर निविदादाता

निविदा भरने हेतु नियम व शर्तें (दुग्ध वाहन)

1. निविदादाता को ई टैन्डर के माध्यम से ऑनलाईन निविदा भरनी होगी एवं निविदा शर्त मय हस्ताक्षर व पूर्ण भरा हुआ अपलोड करना अनिवार्य है।
2. निविदा टैन्डर नोटिस में दिये गये निर्धारित स्थान एवं दिनांक व समय को खोली जावेगी।
3. प्रबन्ध संचालक न्यूनतम दर पर परिवहन ठेके को दिये जाने हेतु बाध्य नहीं होंगे। प्रबन्ध संचालक को किसी भी निविदा को स्वीकार करने, निरस्त करने का अधिकार होगा और ठेका निरस्त करने का कारण बताने के लिये संघ बाध्य नहीं होगा।
4. ठेकेदार को स्वयं या स्वयं के कार्यालय का पता देना होगा, जिस पर संघ द्वारा पत्र व्यवहार किया जा सके। ठेकेदार द्वारा दिये गये पते पर संघ द्वारा पत्र व्यवहार करने पर पत्र का मिलना माना जावेगा।
5. बिना अमानत राशि (डीडी) जमा करवायें निविदा मान्य नहीं होगी एवं अमानत व धरोहर राशि के रूप में जमा रकम पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
6. वाहन निविदादाता के स्वयं के नाम पंजीकृत होना आवश्यक है तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड करनी होगी अन्यथा इसके अभाव में निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा। अगर कोई निविदादाता नया वाहन लगाना चाहता है तो निविदा खोलने की दिनांक के बाद का कय किया हुआ वाहन ही स्वीकार किया जावेगा एवं नये वाहन लगाने हेतु प्रार्थना पत्र निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड करना होगा।
7. निविदा प्रपत्र के साथ 40000 रूपये की डीडी व निविदा स्वीकृत होने के पश्चात एवं कार्य आदेश जारी होने से पूर्व 150,000 रूपये कुल 1,90,000 (एक लाख नब्बे हजार रूपये) धरोहर राशि संघ में जमा करवानी होगी।
8. दर सम्बन्धी किसी भी विवाद की स्थिति में शब्दों में लिखी गई दर मान्य होगी।
9. निविदादाता द्वारा निविदा शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने होंगे। निविदा शर्तों में निविदादाता को किसी भी शर्त को हटाने या जोड़ने का अधिकार नहीं होगा। यदि किसी निविदादाता द्वारा निविदा शर्तों में किसी प्रकार का परिवर्तन/फेरबदल किया जाता है तो यह मान्य नहीं होगा तथा संबंधित निविदादाता का टैन्डर निरस्त किया जा सकेगा।
10. यदि वाहन साझेदारी में हो तो किसी एक साझेदार के हस्ताक्षर होने चाहिये, बशर्तें उसके पास पावर ऑफ अटोर्नी हो। साझेदारी डीड के अभाव में टैन्डर स्वीकार नहीं किया जावेगा।
11. दो न्यूनतम दरों वाले निविदादाताओं की अमानत राशि संघ द्वारा रोकੀ जावेगी। द्वितीय न्यूनतम दर वाले निविदादाता की संघ में जमा राशि प्रथम न्यूनतम दर वाला वाहन पथ में लगाने के उपरान्त ही लौटाई जा सकेगी।
12. ब्लैक लिस्ट घोषित वाहन ठेकेदार की निविदा निरस्त मानी जावेगी।
13. किसी कारण से अगर पूर्व में वाहन को हटाया गया, बीच अवधि में अनुबंध निरस्त किया गया, दूध आदि चोरी करने पर जुर्माना लगाया गया अथवा हटाया गया, लगातार जुर्माना किया गया या संघ द्वारा उसे काली सूची में डाला गया है/प्रतिबंधित किया गया है या उसका कार्य सन्तोष जनक नहीं रहा है अथवा संघ को कोई भी हानि पहुँचाने की कोशिश की गई, संघ के किसी अधिकारी या कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार जैसा कृत्य किया गया है तो ऐसी स्थिति में उसकी निविदा अस्वीकृत की जा सकती है।
14. अगर कोई वाहन ठेकेदार नया वाहन लगाना चाहता है तो अपना आवेदन (कॉटेशन) पत्र या 100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र निविदा पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा, किन्तु निविदा स्वीकृत होने के पश्चात दिये गये समय पर नया वाहन निविदा की दिनांक के बाद का मय आर. सी. प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा निविदा निरस्त कर जमा अमानत राशि जब्त की जा सकती है।
15. अगर परिवहन ठेकेदार के संघ में दुग्ध परिवहन के तीन से अधिक वाहन अथवा एक भी आपातचिकित्सा वाहन अनुबंधित है तो वह निविदा नहीं भर सकेगा तथा निविदा स्वीकृति के बाद में ज्ञात होने पर भी अतिरिक्त वाहन हटाया जा सकेगा।
16. परिवहन ठेकेदार को 500 रूपये के नोन जूडिसियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।
17. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त निविदादाता को औपचारिकताएँ पूर्ण करने हेतु अधिकतम एक माह तक का समय दिया जायेगा।
18. निविदादाता को पैन कार्ड,आधार कार्ड की छायाप्रति साथ अपलोड करनी होगी।
19. निविदा स्वीकृति पश्चात् औपचारिकताएँ पूर्ण करने हेतु दी गयी निर्धारित अवधि में औपचारिकताएँ पूर्ण नहीं करने पर निविदादाता की निविदा निरस्त कर संघ में जमा अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
20. किसी भी समिति/केन्द्र के अध्यक्ष/सचिव अथवा सदस्य एवं संचालक मण्डल के सदस्य तथा संघ के स्थायी या अस्थायी कर्मचारी का स्वयं का या पारिवारिक सदस्य का वाहन नहीं होना चाहिए। ऐसा ज्ञात होने पर अनुबंध अवधि के दौरान अमानत व धरोहर राशि जब्त कर वाहन को हटाया भी जा सकता है। इस हेतु निविदादाता को निविदा फार्म के साथ 100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र अपलोड करना होगा।



निविदादाता के हस्ताक्षर

अनुबन्ध शर्तें (दुग्ध वाहन)

1. ठेका अवधि, कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक से एक वर्ष तक मान्य होगी, उसके पश्चात् 3 माह के लिये अनुबन्ध अवधि बढ़ाई जा सकती है जो कि परिवहन ठेकेदार को मान्य होगी तथा संघ द्वारा दोनों पक्षों की सहमति से 3 माह के लिये अवधि आगे भी बढ़ाई जा सकेगी एवं
2. पथ की किसी भी समिति/केन्द्र के द्वारा मासिक कोई बकाया नहीं प्रमाण पत्र देने के उपरान्त ही मासिक परिवहन बिल का भुगतान किया जावेगा। ठेका समाप्त होने पर पथ की समितियों/केन्द्रों का कोई बकाया नहीं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही अन्तिम बिल का भुगतान व धरोहर राशि लौटाई जावेगी।
3. संघ को दूध मार्ग में फेर बदल करने का अधिकार होगा, पथ को लम्बा या छोटा किसी भी समय किया जा सकता है, इस हेतु किसी प्रकार का क्लेम देय नहीं होगा।
4. ठेकेदार को दी गई समय सारणी के अनुसार प्रत्येक समिति/केन्द्र से दुग्ध संकलन कर परिवहन करना होगा, इसके साथ-साथ ट्रक चालान प्रत्येक समिति/केन्द्र से भरवाना होगा व चालान पर समिति/केन्द्रों के सचिवों से हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से करवाने होंगे। ट्रक चालान पूर्ण भरवाकर नहीं लाने पर प्रति पारी न्यूनतम 100 रूपये जुर्माना किया जा सकेगा।
5. संघ कर्मचारी को दुग्ध मार्ग में आने जाने हेतु वाहन में बैठाना होगा, उक्त की पालना नहीं करने पर वाहन ठेकेदार पर न्यूनतम 200 रूपये प्रति पारी जुर्माना किया जा सकेगा।
6. वाहन निर्धारित समय के बाद पहुंचने पर संघ/समिति को हुई हानि की राशि भुगतान बिल से कटौति कर वसूल की जावेगी। वाहन निर्धारित समय से 2 घण्टे से अधिक देरी से आने पर पूरा दूध फट्टा मान कर कटौति की जा सकेगी। निर्धारित समय से देरी से आने पर 500 रूपये प्रति पारी जुर्माना भी किया जा सकेगा।
7. ठेकेदार से किसी भी प्रकार की वसूलियों को ठेकेदार के बकाया बिल से या धरोहर राशि/सम्पत्तियों से वसूल करने का पूर्ण अधिकार संघ को होगा एवं ठेकेदार के कर्मचारी या प्रतिनिधि द्वारा की गई गलती हेतु वाहन ठेकेदार जिम्मेदार होगा।
8. अगर ठेकेदार द्वारा ठेका बीच में छोड़ दिया जाता है तो उसकी धरोहर राशि एवं अन्य बकाया राशियां जब्त कर ली जावेगी एवं उसे काली सूचि में भी डाला जा सकता है।
9. दरें दोनों समय एवं एक समय के लिये एक ही होगी, संघ द्वारा आवश्यकतानुसार वाहन को अन्य पथ में भी भेजा जा सकेगा, जिसके लिये स्वीकृत दर अनुसार किराया देय होगा।
10. पथ पर संघ सुविधानुसार एक समय भी दूध संकलित कर सकेगा व पथ को बदला भी जा सकता है।
11. कार्यालय की बिना पूर्व अनुमति के ठेकेदार अपना ठेका दूसरे ठेकेदार को ट्रांसफर नहीं कर सकेगा। विशेष परिस्थितियों में ठेका 25000 रूपये स्थानान्तरण शुल्क जमा करवा कर प्रबन्ध संचालक की स्वीकृति से ही स्थानान्तरित किया जा सकेगा।
12. ठेकेदार द्वारा वाहन नहीं भेजने पर कार्यालय द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई तो उसका पूर्ण व्यय एवं खट्टा फट्टा व दूध खराब होने पर अनुबंधित ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। वाहन खराब होने की दशा में ठेकेदार अपने साधन से दूध पहुंचाने की व्यवस्था करेगा एवं खट्टा फट्टे दूध की वसूली ठेकेदार से की जावेगी।
13. निर्धारित स्वीकृत वाहन में ही हर रोज दूध लाना होगा। बिना पूर्व स्वीकृति/ अनुमति के कम क्षमता के वाहन में दूध लाने पर स्वीकृत वाहन की दर का 60 प्रतिशत की दर से ही भुगतान देय होगा। अस्थायी तौर पर वाहन बदलने हेतु कार्यालय से पूर्व स्वीकृति लेनी होगी। बिना स्वीकृति के न्यूनतम 250 रूपये प्रति पारी जुर्माना किया जा सकेगा।
14. गर्मी के मौसम में वाहन ठेकेदार को कैंनों पर गीली पल्ली डालकर लाना होगा ताकि दूध खराब होने से बचाया जा सके। इसके अभाव में प्रति पारी 250 रूपये जुर्माना किया जा सकेगा।
15. ठेकेदार को अपने वाहन के साथ खलासी रखना होगा जो समितियों/ डॉक पर खाली/ भरी कैंनें उतारने/ चढाने में मदद करेगा। बिना खलासी वाहन भेजने पर 500 रूपये प्रतिदिन तक का जुर्माना किया जा सकेगा।
16. वाहन में डीजल की व्यवस्था हेतु ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
17. वाहन में दूध के साथ अनाधिकृत व्यक्ति/ सवारियां/ माल लाने पर चैकिंग के समय न्यूनतम 100 रूपये प्रति सवारी या प्रति नग जुर्माना किया जा सकेगा।
18. रास्ते में दूध में मिलावट करने, दूध निकालने, दूध बेचने व दूध चोरी करते पकड़े जाने पर ठेका प्रारम्भ की दिनांक से पथ की समितियों/केन्द्रों को हुये नुकसान की वसूली ठेकेदार से की जावेगी एवं 31,000 रूपये का जुर्माना करने के साथ अनुबन्ध निरस्त भी किया जा सकेगा एवं संबंधित चालक की गेट एन्ट्री बन्द कर संघ के समस्त पथों हेतु प्रतिबंधित कर दिया जावेगा तथा इसकी पुनरावृत्ति होने पर ठेका निरस्त कर उसकी धरोहर राशि जब्त कर उसे आगामी 5 वर्ष के लिये संघ कार्यक्षेत्र के किसी भी निविदा या कार्य के लिये प्रतिबंधित भी किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

19. किसी भी शर्त का उल्लंघन करने या कार्यालय/समिति के कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार अथवा कार्य आदेश की अवहेलना करने पर 2000 रूपये तक का आर्थिक दण्ड एवं ठेका समाप्त करने का अधिकार संघ को होगा।
20. विशेष परिस्थितियों में वाहन को किसी अन्य स्थान से दूध लाने हेतु भेजा जा सकता है।
21. किसी भी अनुबन्धित वाहन को अस्थायी या स्थायी तौर पर अथवा आवश्यकता नहीं होने पर हटाया जा सकेगा व बिना कारण बताये अनुबन्ध निरस्त भी किया जा सकेगा तथा आवश्यकतानुसार कार्य अवधि एक वर्ष के स्थान पर छः माह भी की जा सकेगी। जिसमें परिवहन ठेकेदार की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी व ना ही कोई हर्जाना देय होगा।
22. समितियों की मांग के अनुसार सामान नहीं ले जाने पर निम्नानुसार जुर्माना किया जा सकेगा—
(अ) तेजाब, ऐल्कोहल, उपकरण, घी, पशु आहार आदि नहीं ले जाने पर 50 रूपये तक प्रति नग या 500 रूपये प्रति समिति जुर्माना किया जावेगा एवं किसी अन्य साधन से सामान भेजा गया तो उसका वास्तविक किराया, खर्चा वाहन ठेकेदार से वसूल किया जावेगा।
(ब) भण्डार से प्राप्त किया गया कोई भी सामान समिति/केन्द्र को नहीं पहुंचाने पर प्रति नग 500 रूपये तक जुर्माना किया जावेगा, एवं उक्त सामान की कीमत वाहन ठेकेदार से वसूल की जावेगी।
23. किसी प्राकृतिक आपदा या चक्का जाम/आन्दोलन आदि से हुई हानि का आधा भार संबंधित ठेकेदार को वहन करना होगा।
24. मुख्य पथ के वाहन में फीडर पथ आवश्यकतानुसार जोड़े जा सकेंगे, मुख्य पथ के वाहन को फीडर पथ के वाहन का दूध भी लाना होगा व पुनः खाली कैंने व ट्रक चालान, उपकरण व अन्य मांग के अनुसार सामान भी फीडर पथ को पहुंचाना होगा।
25. ठेकेदार को संघ का नोमिनल सदस्य बनना होगा जिसकी फीस 100 रूपये होगी।
26. परिस्थितियों/संघ की आवश्यकतानुसार संघ हित में अनुबन्ध की शर्तों में परिवर्तन करने, किसी शर्त को हटाने अथवा नई शर्त लागू करने का पूर्ण अधिकार संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
27. वाहन ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत वाहन की RC पर एक से अधिक पथों पर न्यूनतम दर आने पर दूसरी स्वयं के वाहन की RC प्रस्तुत करनी होगी।
28. यदि वाहन ठेकेदार का अन्य दुग्ध वाहन संघ कार्यक्षेत्र में प्राइवेट डेयरी में भी चल रहा है, तो साक्ष्य के आधार पर वाहन ठेकेदार का टेण्डर निरस्त किया जा सकता है।
29. किसी भी परिस्थिति में फीडर पथ के वाहन को मुख्य पथ एवं मुख्य पथ के वाहन को फीडर पथ में बदला जा सकता है तथा पथ की दरें समान रहेंगी।
30. वाहन ठेकेदार को दुर्घटना बीमा (पूर्ण बीमा, कोम्प्रीहेन्सिव बीमा) की व्यवस्था अपने स्तर पर करवानी होगी।
31. वाहन ठेकेदार को भुगतान हेतु बिल प्रिंटेड स्वीकृत प्रारूप में हर माह में दो बार दिनांक 1 से 15 व 16 से 30-31 तक तीन प्रतियों में निर्धारित समय में देना होगा।
32. निविदा खोलने की दिनांक के पश्चात डीजल की दरों में भारत सरकार द्वारा कमी/वृद्धि करने पर ही वाहन की दरों में संशोधन किया जावेगा। जो संघ द्वारा पूर्व निर्धारित वाहनों की प्रति लीटर डीजल पर औसत कि०मी० मानते किया जावेगा। सरकार के आदेश अनुसार अगर संघ कार्य क्षेत्र में डीजल की दरों में प्रतिदिन कमी/वृद्धि लागू होती है तो प्रत्येक माह की एक तारीख को बढ़ोतरी/कमी होने पर प्रभावित परिवहन दर 1 से 15 तारीख तक मान्य होगी एवं 16 तारीख का बढ़ोतरी/कमी होने पर प्रभावित परिवहन दर 16 तारीख से माह की अन्तिम तारीख तक मान्य होगी। जिन वाहनो को प्रति लीटर दुग्ध दर पर लगाया गया है उन वाहनों पर डीजल की दरों में कमी/वृद्धि होने पर उसी अनुपात में कुल परिवहन दर का 35 प्रतिशत व्यय डीजल मद में मानते हुये त्रैमासिक आधार पर (1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर) डीजल दर को आधार मानकर उसी अनुसार परिवहन दर को संशोधित किया जायेगा। ठेका प्रारम्भ होने पर प्रथम बार परिवहन दर में संशोधन निविदा खोलने की दिनांक को डीजल दर को आधार मानकर किया जावेगा।
33. वाहन ठेकेदार को स्वयं के खर्च पर वाहन पर सरस उत्पाद का विज्ञापन संघ के निर्देशानुसार लिखवाना होगा व अनुबन्ध समाप्ति पर सरस का विज्ञापन वाहन से हटाने पर ही धरोहर राशि लोटाई जावेगी।
34. संघ परिसर से बिना स्वीकृति/ गेट पास के यदि किसी प्रकार का सामान वाहन में ले जाते पाये जाने पर सामान की कीमत का 20 गुना तक जुर्माना किया जा सकता है।
35. संघ परिसर में वाहन को धोया नहीं जावेगा। वाहन धोते पाये जाने पर विवेकानुसार जुर्माना किया जा सकता है।
36. वाहन ठेकेदार के संघ द्वारा निर्धारित किये गये पथ पर ही वाहन चलाना होगा। निर्धारित पथ पर वाहन नहीं चलाने पर संघ द्वारा वाहन ठेकेदार पर 5000 (पांच हजार रूपये) प्रतिदिन का जुर्माना किया जा सकता है।

37. अनुबंध अवधि के दौरान ठेकेदार द्वारा कोई भी ऐसा कार्य/प्रदर्शन/ हड़ताल/अवैधानिक रूप से संगठन करके संघ की साख/प्रतिष्ठा पर विपरित असर डालता है तो उसका अनुबंध निरस्त भी किया जा सकता है जिसके लिए कोई हर्जाना/खर्चा आदि देय नहीं होगा तथा उसकी संघ में जमा धरोहर राशि, अन्य बकाया, दुग्ध परिवहन बिल की राशि जब्त कर उसे काली सूचि में भी डाला जा सकता है।
38. संघ में धरोहर राशि के रूप में जमा रकम पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
39. वाहन ठेकेदार द्वारा संघ की सम्पति का नुकसान/ किसी व्यक्ति को चोट लगने पर हुए नुकसान की पूर्ण भरपाई वाहन ठेकेदार द्वारा की जावेगी।
40. वाहन में ओवरलोड सामान/सवारी के कारण चालान होता है तो समस्त जिम्मेवारी वाहन ठेकेदार की होगी। जिसका वहन ठेकेदार को करना होगा।
41. किसी भी प्रकार का टैक्स, सर्विस टैक्स, टोल टैक्स, राहगीरी लगती है, तो उसका भुगतान संबंधित ठेकेदार द्वारा ही किया जावेगा एवं उसकी समस्त जुम्मेवारी ठेकेदार की होगी एवं संघ द्वारा कोई पुनर्भरण नहीं किया जावेगा।
42. परिवहन ठेकेदार को स्वयं के खर्चे पर दुग्ध वाहन पर कैमरा लगवाना होगा व उचित रोशनी की व्यवस्था करनी होगी एवं कैमरे की रिकार्डिंग 10 दिवस तक की सुरक्षित रखनी होगी, जिसे संघ द्वारा मागें जाने पर उपलब्ध करवानी होगी। उक्त की पालना नहीं होने पर 2000 का जुर्माना लगाया जा सकेगा।
43. दुग्ध परिवहन वाहन के चालक व खलासी का मोबाईल संघ संयंत्र के मुख्य द्वार पर जमा करवाने के पश्चात् ही डेयरी डॉक पर जाने की अनुमति दी जावेगी, उल्लंघन करने पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जावेगा।
44. वाहन पर जीपीएस सिस्टम लगवाकर उसका कोड व पासवर्ड संघ में उपलब्ध करवाना होगा। वाहन ठेकेदार द्वारा जीपीएस सिस्टम को सुचारू रूप से चालू रखना आवश्यक होगा। जीपीएस नहीं लगा होने या बन्द होने की स्थिति में न्यूनतम 500 रुपये प्रतिदिन जुर्माना वसूल किया जा सकेगा।

निविदादाता का पूरा नाम.....

स्थाई पता :-.....

Handwritten signature and initials

हस्ताक्षर

नया वाहन कय कर लगाने हेतु Annexure-1

(प्रारूप शपथ पत्र 100 रूपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर देय होगा)

मैं/ हम पुत्र श्री निवासी
..... शपथपूर्वक घोषणा करता हूं/हैं, कि संघ द्वारा
सफल निविदादाता घोषित किये जाने पर मैं/हम निविदा शर्तानुसार नया वाहन निर्धारित समय अवधि में उपलब्ध करा
दूंगा/करा देंगे अन्यथा मेरी/ हमारी अमानत राशि संघ द्वारा जब्त कर ली जावे।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता
(निविदादाता)



समिति सदस्य ना होने हेतु Annexure-2

(प्रारूप शपथ पत्र 100 रूपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर देय होगा)

मैं/ हम पुत्र श्री..... निवासी

..... शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ/हैं, कि मैं/हम संघ के किसी भी समिति/केन्द्र के अध्यक्ष/सचिव अथवा सदस्य एवं संचालक मण्डल के सदस्य तथा गंगमूल के स्थायी/अस्थायी कर्मचारी नहीं है तथा ना ही कोई पारिवारिक सदस्य है। यदि यह तथ्य झूठा पाया जाता है तो मेरी/हमारी अमानत व धरोहर राशि संघ द्वारा जब्त कर अनुबन्ध निरस्त कर दिया जावे।



हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता
(निविदादाता)